न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 803 सन 2020
अनवान :–

1. नागर पुत्र इन्दु जाति मनियारा साकिन नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 25/8/2022

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया की रोही मौजा ननाउ के खसरा नम्बर 736/1 की 11.01 बीघा भूमि दिनांक 1.12.1975 को नागर पुत्र इन्दु जाति मनियारा तहसील नोहर को आवंटित की गई थी आवटन से लेकर आवटन की गई भूमि आवंटी नागर पुत्र इन्दु जाति मनियारा के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

वाद भूमि नागर पुत्र इन्दु को आवंटित भूमि है जो आवंटी नागर पुत्र इन्दु के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है आवंटी के कंब्जा काश्त में चली आ रही है।

उक्त भूमि आवटी नागर पुत्र इन्दु को आवंटन होने से लेकर आज तक आवंटी नागर पुत्र इन्दु के कब्जा काश्त में रही आवंटी द्वारा आवंटन की समस्त शर्तो की पालना की जा रही है वाद भूमि आवंटन होने के 10 वर्षो वाद स्वत ही खातेदार काश्तकार हो गया था किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज है जिससे वादी के खातेदार अधिकारो का हनन होता है वादी आवंटित भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है ।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी वाद भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया है इसलिये वाद भूमि वादी को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे किन्तु इन्कार हो गये इसलिये वादी ने अपने हकों की घोषणा करवाने के लिये वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा ननाउ के खसरा नम्बर 736/1 की 11.01 बीघा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बध में जबाब पेश किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सही तौर से दर्ज है वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है उपनिवेशन क्षेत्र में आने वाली भूमि के खातेदारी अधिकार उपनिवेशन नियमों के तहत ही पाने का अधिकारी है एवं राज्यहको को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे। पेरोकार राज का जबाब पेश होने पर शामिल मिसल किया जाकर वादी से साक्ष्य लिये गये वादी ने साक्ष्यवादी में अपना शपथपत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया की रोही मौजा ननाउ के खसरा नम्बर 736/1 की 11.01 बीघा भूमि दिनांक 1.12.1975 को नागर पुत्र इन्दु जाति मनियारा तहसील नोहर को आवंटित की गई थी आवटन से लेकर आवटन की गई भूमि आवंटी नागर पुत्र इन्दु जाति मनियारा के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

वाद भूमि नागर पुत्र इन्दु को आवंटित भूमि है जो आवंटी नागर पुत्र इन्दु के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है आवंटी के कंब्जा काश्त में चली आ रही है।

उक्त भूमि आवटी नागर पुत्र इन्दु को आवंटन होने से लेकर आज तक आवंटी नागर पुत्र इन्दु के कब्जा काश्त में रही आवंटी आवंटन की समस्त शर्तो की पालना की जा रही है वाद भूमि आवंटन होने के 10 वर्षो वाद स्वत ही खातेदार काश्तकार हो गया था किन्तु

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज है जिससे वादी के खातेदार अधिकारो का हनन होता है वादी को आवंटित भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है ।

वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ जाने के कारण यदि उपनिवेशन नियमों के तहत भी वाद भूमि के खातेदारी अधिकार दिये जाकर वादी के हकों की घोषणा की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वाद भूमि राही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ चुकी है इसलिये वाद भूमि के खातेदारी अधिकार उपनिवेशन नियमो/परिपत्रों के अधीन ही वादी पाने का अधिकारी है एवं राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निरतारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ननाउ के खसरा नम्बर 736/1 की 11.01 बीघा भूमि नागर पुत्र इन्दु को दिनांक 01.12.1975 को आवंटित की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश /नागान्तकरण से साबित है।

वादी को आवंटी भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रोही गोजा ननाउ के खाता संख्या 689/677 की कुल 2.7950हैक बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसके सम्बध में पेरोकार राज को किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी आवंटी नागर पुत्र इन्दु को वाद भूमि दिनांक 12.01.1975 को आवंटित की गई थी जो आवंटि नागर पुत्र इन्दु के कब्जा काश्त में चली आ रही है। जो प्रस्तुत गिरदावारीयों/तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट से साबित है वाद भूमि आवंटन के समय से वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है पर किसी प्रकार का ऐतराज नही किया गया अर्थात वाद भूमि आवंटन से लेकर आज तक आंवटी नागर पुत्र इन्दु के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि उसे दिनांक 01.12.1975 को आवंटन की गई थी आवंटन आदेश की शर्तो के अनुसार वादी दिनांक 01.12.1975 के सात वर्ष बाद खातेदार काश्तकार हो गया था जिसे राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना था।

पेरोकार राज का कथन है कि वादी को बारानी क्षेत्र में भूमि आवंटन की गई थी वर्तमान में वादी को आवंटन की गई भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आती है अब वादी उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है।

पेरोकार राज का कथन उचित प्रतित होता है वाद भूमि वादी को बारानी क्षेत्र में आवटन की गई थी जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ चुकी है उपनिवेशन नियमों के तहत ही खातेदार पाने के अधिकारी है।

राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर 1957/1970 के तहत आवंटित भूमिया जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है के खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बध में समय समय पर परिपत्र /अधिसूचना जारी की गई है वादी उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है जिसके लियें वादी सहमत भी है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 के तहत आवंटन की गई थी जो बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी इसप्रकार की भूमियों के खातेदारी अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (2) col/2005 जयपुर दिनांक 28.05.2007 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधन किया गया है कि जो भूमि 1957/1970 के नियमो के तहत आवंटित थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र मे आ गई है उसके खातेदारी अधिकारो के लिए अनु0 जाति अनु0 जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग व बीपीएल परिवारो से परियोजना क्षेत्र की निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। अधिसूचना दिनांक 28.05.2007 निम्नानुसार है :–

"Provided also that subject to the general or specific directions of the state Government, the temporary cultivation lease holders to whom land has been

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Whether they have acquired khatedari rights or not under the said rules and after declaration of such area as colony, such temporary cultivation lease holders shall be eligible for permanent allotment to the extent of ceiling limit under these Rules on the payment of 20 % of the reserve price of general allotment in one installment but in case of persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes or BPL Families, they shall pay 10% of the reserve price of general allotment in one installment."

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1957/1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 28.05.2007 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

वादी नागर पुत्र इन्दु को रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 689/677 के खसरा न0 736/5 की कुल 2.7950हैक भूमि दिनांक 01.12.1975 को आंवटन की गई थी नागर पुत्र इन्दु के नाम वर्तमान में गैरखातेदार दर्ज है जो आवंटन नियम 1957 के तहत भूमि आवटन की गई है जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है।

पेरोकार राज के अनुसार वाद भूमि वादी /आवंटी के कब्जा काश्त में आदिनांक तक चली आ रही है किसी प्रकार का स्थगन आदेश विवाद नही है नगर पालिका पेराफेरी में नही है ना ही विशेष आंवटन की सुची में शामिल है वादी /आवंटी के पास वाद भूमि को मिलाने पर सीलिग सीमा से कम भूमि है वादी /आवंटी अन्य पिछडा वर्ग (लखारा) जाति का सदस्य है एवं वाद भूमि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत आती है एवं वादी को पुख्ता आवंटन की अभिशषां की गई है।

वादी /आवंटी को आवंटन की गई भूमि पर तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट के अनुसार किया प्रकार का विवाद एवं पुख्ता आवंटन की अभिशषा एवं आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटन भूमियो जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर उक्तानुसार परिपत्र/अधिसुचनाए जारी की गई है उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य राबुतों एवं परिपत्रों के अधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 689/677 के खसरा न0 736/5 की कुल 2.7950हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के पर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/01/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. नागर पुत्र इन्दु जाति मनियारा साकिन नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 803 सन 2020 निर्णय दिनांक –25/01/2022–

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 689/677 के खसरा न0 736/5 की कुल 2.7950हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीघा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीघा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/01/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner